"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2003—चैत्र 7, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये (3)
1.	श्री कमल प्रीत सिंह	दुर्ग

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री रोहित यादव	बिलासपुर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री राबर्ट हरंगडोला, भा. प्र. से. (1970), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2890/2471/2002/1/2 दिनांक 29-11-2002 के द्वारा श्री बी. के. एस. रे (भा.प्र.से. वर्ष 72) की पदस्थापना अध्यक्ष, राजस्व मंडल के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री बी. के. एस. रे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन), नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मंडल के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2890/2471/2002/1/2 दिनांक 29-11-2002 के द्वारा श्री नारायण सिंह (भा.प्र.से. वर्ष 77) की पदस्थापना सदस्य, राजस्व मंडल के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री नारायण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2134/1745/2002/1/2 दिनांक 6-8-2002 के द्वारा श्री रमेश सी. सिन्हा (भा.प्र.से. वर्ष 82) की पदस्थापना प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री रमेश सी. सिन्हा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2134/1745/2002/1/2 दिनांक 6-8-2002 के द्वारा श्री ए. बी. पी. आदिथाला (भा.प्र.से. वर्ष 86) की पदस्थापना संचालक, कृषि के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री ए. बी. पी. आदिथाला द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा संचालक, कृषि के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

5. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 80/1929/2001/साप्रवि/2 दिनांक 11-1-2002 के द्वारा श्री एस. के. बेहार (भा.प्र.से. वर्ष 92) की पदस्थापना स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, आई.एफ.ए.डी. के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री एस. के. बेहार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत राज्य शासन द्वारा स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, आई.एफ.ए.डी. के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2332/2002/1/2 दिनांक 4-9-2002 के द्वारा श्री एस. के. तिवारी (भा.प्र.से. वर्ष 93) की पदस्थापना सचिव, लोक आयोग के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री एस. के. तिवारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा सचिव, लोक आयोग के असवंर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

7. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1794/1333/2002/1/2 दिनांक 2-7-2002 के द्वारा श्री सोनमणि बोरा (भा.प्र.से. वर्ष 99) की पदस्थापना आयुक्त, नगर निगम के पद पर की गई है. उक्त पद पर श्री सोनमणि बोरा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत, राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगर निगम के असंवर्गीय पद को, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में, अपर कलेक्टर, के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2003

क्रमांक एफ 10-11/2003/1/5.—राज्य शासन, गौवंश के संवर्धन को अत्यधिक महत्व देता है, अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पवन दीवान, भूतपूर्व संसद सदस्य, को छत्तीसगढ़ गौ सेवा एवं ग्राम विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ गौ सेवा एवं ग्राम विकास आयोग से तथा इसके अध्यक्ष से संबंधित अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियां कृषि विभाग द्वारा की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2919/2473/साप्रवि/2002/1/2.—श्री शैलेश पाठक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़, अधोसंरचना विकास निगम, संचालक, संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव, वित्त एवं संचालक, जन संपर्क एवं पदेन संयुक्त सचिव, जन संपर्क को दिनांक 02 दिसम्बर 2002 से 09 दिसम्बर 2002 (08 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. आपको देश-विदेश योजना के तहत सिंगापुर प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री पाठक को अवकाश के लौटने पर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़, अधोसंरचना विकास निगम, संचालक संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव, वित्त एवं संचालक, जन संपर्क एवं पदेन संयुक्त सचिव, जन संपर्क के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

4. श्री शैलेश पाठक को अवकाश अवधि में उन्हें वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

क्रमांक 619/489/2003/साप्रवि/लीव/आईएएस/स्था.—श्री महिपालसिंह धुर्वे, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज विभाग को दिनांक 16-1-2003 से 11-2-2003 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा 12-2-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धुर्वे को आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छ. ग. शासन, उद्योग एवं खनिज विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री धुर्वे को अवकाश काल में अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धुर्वे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2003

क्रमांक 965/300/मं./स्वास्थ्य/2003.—राज्य शासन द्वारा पाटन जिला दुर्ग के नवनिर्मित 30 बिस्तर शासकीय चिकित्सालय भवन का नामकरण ''स्वामी आत्मानंद चिकित्सालय'' पाटन जिला दुर्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2003

क्रमांक 1030/301/मं./2003/सत्रह .—राज्य शासन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में बनाए जा रहे क्षेत्रीय केन्सर केन्द्र का नामकरण ''इंदिरा गांधी क्षेत्रीय केन्सर केन्द्र'' के नाम से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार ध्रुव, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2003

क्रमांक 1764/डी-615/21-ब/छ.ग./2003.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 79/

11-2-17/2001/गोप./2003, दिनांक 3-3-2003 के परिप्रेक्ष्य में श्री सी. पी. एस. पटेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अंबिकापुर की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर से वापिस लेते हुए लोक आयोग कार्यालय, रायपुर में विधि सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2003

फा. क्र. 1761/407/21-ब (छ.ग.) 2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गुलाबचन्द्र अग्रवाल पेण्ड्रारोड बिलासपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पेण्ड्रारोड, बिलासपुर सत्र खण्ड के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

फा. क्र. 1889/512/21-ब (छ.ग.) 2003.—नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुये कवर्धा जिले के लिये नोटरी के 2 नये पद वृद्धि करती है.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

फा. क्र. 1890/513/21-ब (छ.ग.) 2003.—नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनसंख्या एवं कार्य को देखते हुये कोरबा जिले के लिये नोटरी के 2 नये पद वृद्धि करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक/एफ 1-50/2002/42.—अतः राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया कि :—

(एक) कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाएं.

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को संविदा के आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त किया जाए.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, एतद्द्वारा तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीन सेवा के कतिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

(1) संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा त्रिवर्षीय संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम 2002" है.

(2) किन्हीं अन्य नियमों में किसी बात के होते हुए भी ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(2) परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति अधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी,

(ख) सरकार से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार,

(ग) चयन समिति से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

(3) वेतन :— किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(4) नियुक्ति का तरीका :—

(1) अनुसूची में उल्लिखत पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी. सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्तियां, संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा उनकी उपयुक्ता (आवेदक पिछले तीन वर्षों के गोपनीय प्रतवेदन एवं वर्तमान स्वास्थ्य) के आधार पर की जायेगी.

(2) अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए.

(3) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड-पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिये जाएंगे :—

(क) विहित अर्हता 60 अंक (अधिकंतम, न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

(ख) उच्चतर अर्हता (अभ्यार्थी के पास आवश्यक अर्हताएं होनी चाहिए)

(I) एम. ई./एम. टेक./एम. फिल एम. टेक. एण्ड उपाधि 05 अंक

(II) पी. एच. डी. उपाधि 10 अंक

(ग) अनुभव :— 05 अंक (न्यूनतम:
अपेक्षित अनुभव से भिन्न अनुभव-एक अंक प्रतिवर्ष, किन्तु अधिकतम अंक 05 अंकों से अधिक नहीं होंगे)

(घ) साक्षात्कार 20 अंक

(4) समिति, अभ्यर्थी के अपने शैक्षणिक कैरियर में प्रदर्शन अर्थात् उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, अन्य वृत्तिक क्षेत्र आदि में प्रदर्शन और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर, जिनके लिए अंक दिए जाएंगे अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेंगी और ऐसे अंकों में से 20 अंकों से अनधिक अंक उसके वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए दिये जाएंगे.

(5) ऐसे चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने पश्चात् भरी जाएंगी.

(6) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के कम से कम तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन के लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा.

(5) पदावधि :—

(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष की कालावधि की होगी. ऐसी कालावधि के अवसान पर नियुक्ति समाप्त हो जाएगी.

(2) तथापि कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो संविदा पर नई नियुक्ति के लिए पात्र होगा. ऐसा व्यक्ति नई नियुक्ति पर, ऐसे वेतन से जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, 10 प्रतिशत अधिक वेतन का हकदार होगा.

(6) आयु :— न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.

(7) अन्य शर्तें :—

(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति संबंधित प्रवर्ग या उससे उच्च प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जाएगी.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा.

(3) महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम, 1997) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.

(4) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.

(5) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेंशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिए हकदार नहीं होगा.

(7) इन नियमों के अधीन सेवाएं दोनों में से किसी भी एक ओर से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी.

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सकीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो कि समतुल्य वेतन पाने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय है.

(9) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ऐसे भविष्य निधि के फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाए.

(10) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(11) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी.

(12) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

अनुसूची

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतन (3)	न्यूनतम आयु (4)	अधिकतम आयु (5)	शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम (6)	आवश्यक अनुभव (7)	चयन समिति की संरचना (8)	चयन समिति की गणपूर्ति (9)	नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी (10)
1.	व्याख्याता इंजी. महाविद्या-लय/पॉलि टेकनिकल.	रु. 8,000/-	22 वर्ष	51 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपयुक्त शाखा में इंजीनियरिंग/टेक्नॉलाजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मानविकी तथा विज्ञान समूह के अध्यापन पदों की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री.	निरंक	1. संचालक तकनीकी शिक्षा अध्यक्ष. 2. संस्था का प्राचार्य/ प्रतिनिधि सदस्य. 3. विषय से संबंधित विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ शिक्षक-सदस्य. 4. एक विषय विशेषज्ञ (संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनित)-सदस्य. 5. अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा-सदस्य सचिव.	1. अध्यक्ष 2. विषय से संबंधित विभागाध्यक्ष-वरिष्ठ शिक्षक 3. एक विशेषज्ञ 4. सदस्य-सचिव.	संचालक तकनीकी शिक्षा.
2.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक इंजी. महाविद्या-लय/पाली टेकनिक.	रु. 8,000/-	22 वर्ष	51 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से उपयुक्त शाखा में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि.	निरंक	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रोग्रामर इंजी. महाविद्या-लय/पॉलि टेकनिक.	रु. 8,000/-	22 वर्ष	51 वर्ष	प्रोग्रामर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या गणित/भौतिकी शास्त्र/ सांख्यिकी/ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कोबोल C++ प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव (यदि आवेदक के पास कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो एक वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं होगी. या कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री. या इलेक्ट्रानिक्स इंजी./इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजी./ कम्प्यूटर साइंस में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री. या कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ किसी कम्प्यूटर केन्द्र में प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव.	निरंक	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

अनुसूची

क्र.	पद का नाम	वेतन	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम	आवश्यक अनुभव	चयन समिति की संरचना	नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	सेवानिवृत्त शिक्षक (प्रोफेसर/रीडर/विभागाध्यक्ष/इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेकनिक).	सेवानिवृत्ति पर प्राप्त मूलवेतन एवं महंगाई भत्ता (प्राप्त पेंशन को घटाकर).	लागू नहीं	65 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	व्याख्याता के पद के चयन हेतु गठित समिति.	संचालक तकनीकी शिक्षा.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1051.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	छिर्राडीह प.ह.नं.19	1.205	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	छिर्राडीह माइनर, बोईरडीह ब्रांच माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1052.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कलमी प.ह.नं. 5	14.194	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1053.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	पोता प.ह.नं. 6	22.111	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1054.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी प.ह.नं. 8	1.057	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1055.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी प.ह.नं. 8	3.542	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	हरदी उप शाखा.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1056.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 8	11.873	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	हरदी उप शाखा.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1057.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़े सीपत प.ह.नं. 4	5.657	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1058.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छोटे सीपत प.ह.नं. 5	8.506	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुरदा वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1059.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटेकोनी छोटे प.ह.नं. 11	3.135	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	गोबरा सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1060.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बड़े मुड़पार प.ह.नं.10	6.516	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1061.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	किरारी प.ह.नं.11	4.493	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सेरो सब डि. वाय.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1062.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा प.ह.नं. 7	1.763	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	छोटे कटेकोनी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1063.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भोथिया प.ह.नं. 5	0.134	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	सबनी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1064.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरखुर्द प.ह.नं. 12	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया.	घोघरा उप शाखा.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1065.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हरेठीकला प.ह.नं. 22	7.049	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	हरेठीकला माइनर नं. 1, ब्रांच माइनर 3 L हरेठीकला माइनर नं. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1066.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गलगलाडीह प.ह.नं. 13	3.057	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गलगलाडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1067.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बैहागुडरू प.ह.नं. 22	1.748	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गुडरू माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1068.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	गुंजियाबोर प.ह.नं. 21	3.093	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भनेतरा माइनर, ब्रांच माइनर. 1 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1069.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	भनेतरा प.ह.नं. 27	3.229	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भनेतरा माइनर, भनेतरा ब्रांच माइनर 3 L, भनेतरा ब्रांच माइनर 4 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1070.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जुनवानी प.ह.नं. 17	0.295	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	हरेठीकला ब्रांच माइनर 2 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1071.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प.ह.नं. 14	1.418	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	जैजैपुर माइनर, गलगलाडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1072.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ओड़ेकरा प.ह.नं. 19	8.925	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	हरेठीकला माइनर 1 हरेठीकला ब्रांच माइनर 1R, हरेठीकला ब्रांच माइनर 2 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1073.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावनां है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सकर्रा प.ह.नं. 7	6.346	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर, ब्रांच माइनर 1, ब्रांच माइनर 4, ब्रांच माइनर 5.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1074.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सुक्तीपाली प.ह.नं. 2	1.694	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर, ब्रांच माइनर नं. 7.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1075.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सुलोनी प.ह.नं. 2	3.436	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर, ब्रांच माइनर 8, ब्रांच माइनर 9.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1076.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सोनादुला प.ह.नं. 2	2.559	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1077.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदार	दर्राभाठा प.ह.नं. 7	2.177	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	भागोडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1078.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	डोंगिया प.ह.नं. 4	2.330	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कुटारी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1079.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	घिवरा प.ह.नं. 01	0.574	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1080.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	0.376	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	छोटेकोर माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1081.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	देवरघटा प.ह.नं. 01	0.598	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सुखदा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1082.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसमुल प.ह.नं. 5	2.979	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंघरा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1083.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कनाईडीह प.ह.नं. 2	0.755	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1084.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसमुल प.ह.नं. 05	0.949	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	फरसवानी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1085.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चांटीपाली प.ह.नं. 12	1.853	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1086.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	चांटीपाली प.ह.नं. 12	0.016	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	खर्री माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1087.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	केकराभाठ प.ह.नं. 4	0.776	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	केकराभाठ माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1088.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बडेकोर प.ह.नं. 11	0.311	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	कनाईडीह माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1089.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	खेमड़ा प.ह.नं. 12	4.461	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु. एवं टेल माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1090.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बेल्हाभाठा प.ह.नं. 12	2.502	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1091.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	6.965	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	बड़े मुड़पार सब डि. ब्यु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1092.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	केकराभाठा प.ह.नं. 4	1.915	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	देवरघटा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1093.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	छोटेकोट प.ह.नं. 11	0.671	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	छोटेकोट माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1094.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	1.796	कार्यपालन यंत्री; मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	छोटेकोट माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1095.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सिंघरा प.ह.नं. 11	0.976	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	सिंघरा माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1096.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	खर्री प.ह.नं.12	1.211	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा.	खर्री माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1097.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरदुली प.ह.नं.19	5.774	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गुडरू माइनर, बोईरडीह माइनर, बरदुली माइनर नं. 1 एवं 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1098.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कचंदा प.ह.नं. 12	6.720	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बरदुली वितरक

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1099.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कंचदा प.ह.नं. 12	3.236	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1100.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बेलादुला प.ह.नं.12	4.240	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1101.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बेलादुला प.ह.नं.12	9.683	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1102.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोड़सरा प.ह.नं. 13	2.784	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1103.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोड़सरा प.ह.नं. 13	1.592	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक .

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1104.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुसार प.ह.नं. 13	6.149	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गलगलाडीह माइनर आमाकोनो माइनर कचंदा उप वितरक गांमाडोर माइनर तुसार माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1105.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	तुसार प.ह.नं. 13	3.834	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कचंदा उप वितरक.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1106.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ओड़ेकेरा प.ह.नं. 18	5.648	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	गाडामोर माइनर, आमाकोनी माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1107.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बहेराडीह प.ह.नं. 18	3.891	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	आमाकोनी माइनर, ब्रांच माइनर 2 L.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1108.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोईरडीह प.ह.नं. 20	3.011	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बाईरडीह माइनर, ब्रांच माइनर 2 L ब्रांच माइनर 3 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1109.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	खैरझिंटी प.ह.नं. 20	2.559	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	बोईरडीह माइनर] ब्रांच मांइनर 3 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1110.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	देवरघटा प.ह.नं. 22	4.533	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	भनेतरा माइनर, बरकेल माइनर, देवरघटा माइनर, बरदुली माइनर नं. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1111.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कुटराबोर प.ह.नं.19	5.290	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	छिर्राडीह माइनर, हरेठीकला माइनर नं. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1212/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-बिनौंधा, प. ह. नं. 18
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.54 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
77/9	0.03
77/10	0.08
77/11	
77/7	0.17
77/3	0.21
77/1	0.01
58/5	0.39
59/1	0.11
59/5	0.13
60	0.26
65/1	0.18
246	0.27
220/5	0.06
220/4	0.07
221/2	0.40

(1)	(2)
251/1	0.17
251/3	0.20
250/5	0.15
244/1	0.16
244/4	0.12
244/2	0.21
244/3	0.14
245	0.01
247	0.40
237	0.16
238/1	0.31
250/1	0.07
250/2	0.07
योग 27	4.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में बिनौंधा-माइनर, सुरसी-माइनर एवं सुरसी सब-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1209/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.72 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
292	0.07
333, 334	0.04
293, 1027	0.05
316	0.18
488/1	0.04
492	0.04
297/4, 298/4	0.04
314	0.04
289/1	0.05
297/1, 298/1	0.20
289/2	0.03
315	0.05
413, 588	0.19
322	0.05
463/3	0.10
332	0.05
407, 592	0.09
403/1, 404, 405	0.30
463/2	0.12
402	0.08
409, 410/1, 410/2	0.06
414	0.03
411	0.18
448	0.11
486	0.15
416, 587	0.10
450/2	0.10
463/1	0.05
468/2	0.16

(1)	(2)
469/2	0.09
467/1	0.06
467/2	0.06
467/3	0.06
487/1	0.05
487/2	0.04
488	0.08
452/1	0.12
490	0.12
493	0.11
494	0.09
42/2, 43/1	0.09
योग 41	3.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में मुक्ता-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1207/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-मिरौनी, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
401/1, 403, 404	0.13
401/2	0.05
551	0.13
553	0.13
554	0.08
557/1, 557/2	0.06
558/1, 559/1, 559/2	0.15
560	0.16
568	0.12
578	0.06
580	0.06
583	0.06
584	0.03
585	0.03
586	0.04
596/1, 596/2	0.26
योग	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में मिरौनी माइनर II निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1205/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	253/5	0.15
योग		0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1203/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1/1	0.10
	354/1	0.04
	355/1	
	382/1	0.06
	383	0.10
	384/1	0.03
	422	0.11
	414	0.02
	415/1	0.21
	410	0.17
	413/1	0.13
	415/2	0.06
	421	0.03
	423	0.10
	424/2	0.11
	424/1	0.12
	426	0.11
	428/1	0.08
	428/2	0.13
	428/3	0.20
	443/2	0.11
	737	0.04
	735	0.10
	435/1	0.12
योग	23	2.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में मिरौनी-माइनर I निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1201/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-पेण्डरूवाँ, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1054/1	0.07
1053	0.09
1051	0.11
योग 3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में खुरसिया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/2002/1199/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुरसी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.92 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
461/1	0.15
461/2	0.13
462	0.03
494/2	0.02
465	0.08
500/3	0.09
467	0.12
468	0.06
490	0.11
495/1	0.01
494/1	0.16
497/1	0.10
498/1	0.10
498/2	0.01
499	0.14
500/2	0.08
528	0.09
529/1	0.08
529/2	0.08
531	0.19
532	0.09
योग 21	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुक्ता वितरक नहर में सुरसी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 761/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.333 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2873	0.020
2870	0.016
2871	0.054
2868/3	0.035
2909	0.045
2907	0.025
2906/2	0.024
2908/2	0.024
2908/1	0.118
2912	0.004
2913/1	0.048
2917	0.053
1432	0.070
1434/2	0.040
1433	0.049
1430/4	0.028
1445	0.040
1430/1	0.069
2950/2	0.058
2951/3	0.153
2974	0.035
2975	
2953	0.040
2976	0.073
2994	0.060
2996/2	0.040
2998/1	0.064
2998/2	
3000/1	0.040
1430/2	0.008
योग 28	1.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-ठठारी सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 762/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मरकाम गोढ़ही, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
504/1	0.129
504/2	
503	0.061
502	0.032
501/1	0.024
501/2	0.020
500	0.049
496	0.004
16/1	0.121

(1)	(2)
17/5	0.081
20/2	0.012
20/3	0.061
20/4	0.089
21/1	0.053
21/2	0.016
22/2	0.308
22/2	
22/3	
23/1	0.008
योग	1.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 763/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.901 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27	0.105
36	0.097
38/1	0.328
38/2	0.117
70/1	0.312
70/2	
74	0.024
73/1	0.466
73/2	
73/3	
80/1	0.445
80/2	
81/1	0.194
81/2	
81/3	
81/4	
81/5	
81/6	
82	0.376
99	0.061
100/2	0.154
100/3	
100/4	
104	0.008
101	0.129
329	0.069
355	0.036
354	0.045
356	0.016
353	0.020
352	0.049
358	0.097
359	0.121
361	0.105
388/1	0.162
388/2	
387/1	0.134
387/2	
386	0.125

(1)	(2)
385	0.053
98	0.053
योग	3.901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 764/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42/1	0.020
42/2	0.194
43	0.101
121	0.020
123/3	0.166
130/1	0.020
130/2	0.178
129/1, 129/2, 129/3, 129/4	0.166
132/1, 132/2, 132/3, 132/4	0.291
266/1, 266/2	0.583
273/4	0.008
273/3	0.214
275	0.020
373/1	0.008
योग	1.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 765/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.925 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1442/1, 1442/2, 1442/3, 1442/4, 1442/5	0.057

(1)	(2)
1441/1	0.065
1441/2	
1440	0.089
1436	0.113
1435/1	0.012
1435/2	
1542/1	0.186
1542/2	
1542/3	
1542/4	
1542/5	
1560	0.008
1430	0.008
1561/1	0.113
1561/2	
1561/3	
1562	0.113
1564	0.024
1563	0.040
1566	0.032
1571/1	0.065
1571/2	
योग	0.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रगजा माइनर नं.-1, निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्र. 766/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कांदानारा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.999 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
181/1	0.182
182/2	
181/3	
181/4	
182	0.040
191/1	0.101
191/2	
178/1 क	0.049
189	0.085
192/1, 7, 11	0.053
192/2, 3	
192/4, 5	
192/6	
192/8, 9	
192/10	
199/1	0.008
199/2	
200	0.129
210	0.049
211	0.206
212	
213	0.097
योग	0.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रगजा माइनर नं.-1, निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 767/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	70	0.061
योग		0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-घोघरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 768/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रीवांपाली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.364 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	84	0.081
	86	0.162
	87	0.121
योग	3	0.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 769/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दूटोहा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.701 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.016
62	0.303
92	0.124
91	0.105
90	0.294
115	0.179
116	0.057
338	0.211
330	0.089
337	0.016
336	0.081
335	0.214
334	0.012
योग 13	1.701

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 770/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)		रकबा (हेक्टेयर में) (2)
89/3		0.109
146		0.077
147	1	
148		
149		
146		0.036
147	2	
148		
149		
156/1		0.008
156/2		0.028
157/3		0.089
157/4		
163		0.053
164		0.053
166/1-2		0.045
168/1		0.057
168/2		0.057
198/1		0.150
198/2		
198/3		
198/4		
557		0.024
560/1		0.049
560/2		
560/3		
560/4		
561/1		0.040
561/2		
561/3		
598/1		0.129
598/2		
598/3		
613/1		0.214
613/2		
613/3		
613/4		
593/1		0.024
593/2		

(1)	(2)
611	0.081
610/5	0.057
610/4	0.069
665	0.040
664	0.020
668/1	0.057
668/2	
669/1	0.032
669/2	
670/3	0.024
670/4	0.057
726/1	0.045
726/2	0.057
722	0.024
721	0.024
720	0.020
719	0.020
696	0.057
697/1	0.073
697/2	
697/3	
698	0.097
709/3	0.065
703/2	0.073
710	0.008
योग 39	2.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सरवानी वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 771/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-भेडापाली, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
140	0.121
145	0.097
146	0.097
151/2	0.057
151/3	0.057
151/4	0.085
151/5	0.065
179	0.020
170/1-2-3	0.380
171/1-2	0.057
172/1-2-3	0.109
174/1-2-3-4	0.049
236	0.081
242	0.259
241	0.012
243/1-2-3-4-5-6	0.045
348	0.518
353/1-2-3	0.097
356	0.283
योग	2.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भेडापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 772/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्दरी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1103/2	0.020
योग	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चमरा बरपाली माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्र. 773/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमरा बरपाली, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.758 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3	0.004
4/1	0.105
4/2	0.008
5/2	0.142
25/1	0.045
21	0.073
19, 20	0.117
46/2	0.045
247	0.089
245	0.045
244	0.045
242	0.097
243	0.053
282/1	0.008
352/2	0.081
279	0.117
274/1	0.073
276	0.154
336	0.008
334/2	0.077
334/1	0.040
332/1	0.194
331	0.073
341	0.065
योग	1.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चमरा बरपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जनवरी 2003

क्र. 774/.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम सपिया प.ह.नं. 9 तहसील मालखरौदा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की कुल निजी भूमि 12.968 हेक्टेयर का कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 27 नवंबर 2002 क्रमांक 733 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग एक दिनांक 3 जनवरी 2003 क्रमांक 01 के पृ. क्र. 19, 20 व 21 में प्रकाशन) विलोपित (निरस्त) किया जाता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जनवरी 2003

क्र. 776/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.152 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
398/1	0.198
398/2	0.340
399	0.016
401/1, 2	0.044
402, 403	0.408
407/2	0.089
406/1	0.008
405	0.137
404	0.157
427/5	0.032
427/8	0.384
426/1, 2, 4	0.518
426/3	0.012
427/9	0.080
425	0.129
424	0.057
429/2	0.142
430/3	0.060
426/5	0.040
426/1	0.036
433/2, 3, 450/2, 3, 451/2, 3	0.194
433/4, 450/4, 451/4	0.052
448	0.093
433/5, 450/5, 451/5	0.008
433, 450/1, 451/1	0.137
430/1, 429/1, 428/2	0.243
434, 435	0.029
423/1	0.060
447	0.040
446, 445/1	0.283
444	0.040
383	0.061
384	0.004
442	0.125
376, 377/1, 445/3	0.259
445/2	0.263
270	0.049
371	0.117
372	0.145

(1)	(2)
375/1	0.178
373/2	0.202
370	0.008
373/3	0.052
373/1	0.149
363/2	0.077
373/4	0.145
374	0.097
375/3	0.040
363/1	0.040
365/2	0.060
360/2	0.160
362	0.137
360/1	0.101
360/3	0.117
360/4	
361/1	0.052
361/2	
326	0.352
327/1	0.036
328	0.073
321/1	0.182
321/2	0.129
300/1	0.012
301/1	
301/3, 4	0.283
320/1	0.064
318/8	0.097
318/10	0.109
319/2	0.057
318/7, 9	0.190
318/6	0.040
302/6	0.113
318/4	0.234
302/2	0.165
318/1	0.008
302/7	0.275
316	0.004
302/9	0.295
302/5	0.113
307	0.020
106/7	0.182

(1)	(2)
302/1	0.158
305	0.085
304	0.334
306	0.085
67	0.028
68/6	0.085
302/3	
66/4	0.113
68/2, 3, 4	0.611
69/1	0.040
69/2	0.142
75	0.080
76	
46/3	0.016
57/2	0.068
78	0.004
79	0.246
80	0.218
98	0.202
81	0.089
82	
65/1	0.004
83	0.085
89	0.315
92/1	0.283
94/2	0.121
433/6	0.024
450/6	
451/6	
436/3	0.056
87	0.170
95	0.080
86	0.032
84	0.089
85	
77	0.068
432	0.032
432/2	0.040
397	0.380
योग 110	14.152

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जनवरी 2003

क्र. 775.—राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम सपिया प.ह.नं. 9 तहसील मालखरौदा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की कुल निजी भूमि 7.746 हेक्टेयर का सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 22 नवंबर 2002 क्रमांक 728 (छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग एक दिनांक 3 जनवरी 2003 क्रमांक 01 के पृ. क्र. 15, व 16 में प्रकाशन) विलोपित (निरस्त) किया जाता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 जनवरी 2003

क्र. 777/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.732 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
398/1	0.093
398/2	0.032
399	0.328
400	0.332
1724/1	0.154
401/1, 402/2	0.117
1724/2	0.085
409/2	0.045
409/1	0.028
1725/3	0.162
1723	0.146
1725/2	0.105
1726/3	0.190
1719, 1720	0.211
1729/2	0.227
1745	0.117
1746	0.202
1721/1	0.004
1745/6	0.243
1729/1	0.080
1729/3	0.134
1733	0.045
1745/15	0.219
1745/14	0.008
1745/3	0.154
1745/7	0.008
1747/1, 1748/2	0.421
1745/1	0.040
1744/1, 1744/3, 1744/4	0.290
1744/2	0.146
1749/5	0.053
1750/3	0.004
1750/4, 1750/2	0.057
1750/1	0.506
1751/3	0.089
1753/1	0.146
1754/1, 1754/2	0.174
1751/1	0.004
1756/3	0.045
1758	0.311
1765/5	0.012
1763/2	0.049
1765/2	0.129
1763/3	0.134
1761/5	0.008
1762/4	0.202
1761/4	0.080

(1)	(2)
1765/5	0.036
1793/3	0.122
1793/4	0.154
1762/5	0.113
1686/2	0.012
1686/3	0.324
1681/2	0.206
1682 1683	0.388
1681/4	0.244
1681/3	0.129
1681/1	0.125
1676	0.032
1677	0.134
1675/3	0.117
1675/1	0.061
1675/2	0.036
1671	0.121
1670	0.146
1667	0.142
1868	0.012
1820/2	0.053
1940/2	0.069
1820/3	0.174
1872/2	0.020
1641/2	0.016
1897/3	0.121
1897/2	0.299
1897/4	0.405
1896	0.178
1898/4	0.265
1636 1898	0.129
1636/3 1898/3	0.251
1899/5 1899/6	0.113
1899/1	0.150
1916/1	0.235
1916/2	0.089
1903/1	0.364
1903/2	0.138
1902	0.012
1901/2 1901/4	0.162
1614/1	0.081
1901/1	0.081
1901/5	0.040
1901/3	0.101
1614/2	0.101
1612/2 1612/3	0.061
योग 93	12.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 778/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1234	0.057

(1)	(2)
1242/1	0.008
1242/4	0.016
1614/1 1616/1	0.113
1616/2	0.040
योग	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 779/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-कांदानारा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.097
7/1 7/2	0.053
8/1 8/2	0.012
52/2 क/1 52/2 क/2 52/2 क/3	0.308
52/1	0.024
48	0.032
71	0.057
42	0.174
41/1 41/2 41/3 41/4 41/5	0.206
89	0.012
90 91	0.024
148/1 148/2 148/3	0.207
147/1 147/2	0.049
376/1 376/2 376/3 376/4 376/5	0.097
योग 14	1.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कांदानारा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 780/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.654 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
126/1	0.324
126/2	
150/2	0.016
153/1	0.129
153/2	
152	0.036
155/1	0.125
155/2	
155/3	
155/4	
155/5	
155/6	
155/7	
155/8	
155/9	
155/10	
155/11	
154/2	0.024
योग 6	0.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सक्ती उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 781/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.003 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
223	0.032
232	0.032
237	0.097
236/1	0.081
236/2	
233	0.024
261	0.012
231/1	0.154
231/2	
231/3	
266	0.097
267/1	0.065
267/2	
268/1	0.016
268/2	
291	0.097
288/3	0.040
282	0.121
287	
289	0.008
283/1	0.053
286	

(1)	(2)
372	0.186
280 / 281	0.024
370	0.016
371/1 / 371/2	0.251
376	0.012
475/1 / 475/2	0.065
476	0.065
477	0.049
470/2	0.032
478/1 / 478/2	0.223
481	0.061
470/1	0.129
471/1 / 471/2	0.073
472/2 / 472/3	0.121
425	0.032
456/1 / 456/2 / 456/3	0.101
451/1 / 451/2 / 451/3	0.016
426/1 / 426/2	0.097
442/5 / 442/10	0.194
444/1 / 444/2	0.073
442/6	0.121
442/4	0.093
442/9	0.008
440	0.032
योग 39	3.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रगजा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 782/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.357 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
344/1 / 344/2 / 344/3 / 344/4	0.032
340	0.032
338/1 / 338/2	0.255
337	0.117
300/1	0.004
300/5	0.040
336/1 / 336/2 / 336/3	0.190
307	0.113
300/2	0.109
300/4	0.049
300/6	0.101
302	0.101

(1)	(2)
305/1	0.129
308	0.085
योग 14	1.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रींवापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 783/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
309	0.053
310	0.049
306	0.057
314	0.061
312	0.004
313	0.028
290/1 315	0.040
268	0.032
284	0.020
269	0.053
259 256	0.057
288	0.020
287	0.097
266	0.040
286/1	0.028
267	0.024
286/2	0.004
274	0.036
273	0.134
263 276/2	0.243
276/1	0.008
334 260	0.049
योग 22	1.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कर्रापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 784/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134	0.065
132/1	0.020
132/2	
132/3	
97	0.356
98	
99	
101/2	0.105
102/2	0.097
103/1	0.154
103/2	
103/3	
106	0.008
109	0.020
91	0.065
80	0.073
20	0.020
79	0.040
120	0.065
108	0.036
92	0.004
89/3	0.089
85/1	0.077
85/2	0.036
86	0.129
23 | 1	0.134
78	
23 | 2	
78	
24/1	0.328
24/2	
24/3	
24/4	
25	0.049
26	0.016
27/1	0.101
27/2	
28	0.012
30	0.117
योग	2.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 785/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़),

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.839 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1092	0.113
1090	0.032
998	0.040
992	0.040
1001	0.073
1089	0.085
1088	0.073
1108	0.004

(1)	(2)
1085/1	0.049
1085/2	
1085/3	
1056/1	0.138
1056/2	
1056/3	
1056/4	
1054/1	0.024
1054/2	
1055	0.077
1053/1	0.020
1053/2	
1029/1	0.186
1039/2	
1029/3	
1029/4	
1061/1	0.129
1061/2	
1061/3	
1028	0.020
1025	0.004
1030/1	0.231
1030/2	
1030/3	
1030/4	
1030/5	
1031/1	0.024
1031/2	
1032	0.093
996/1	0.089
996/2	
996/3	
993	0.008
984/1	0.053
984/2	
983/1	0.057
983/2	
997	0.040
981/1	0.032
981/2	
982/2	0.024
980/1	0.032
980/2	
999/1	0.049
999/2	
योग 29	1.839

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रगजा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 786/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
16/4	0.154
16/3	
16/2	
16/1	
19/1	0.077
20/2	0.134
23/1 क	0.073
33	0.065

(1)	(2)
21 22	0.097
34	0.057
35/1 35/2 35/3 35/4 35/6	0.121
39/1 39/2	0.210
44	0.190
45	0.077
46	0.150
योग 12	1.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोरदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 787/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1092	0.020
1342	0.049
1093	0.004
1094/2	0.008
1143/1 क 1143/1 ख 1143/1 ग 1143/2 1143/3	0.121
1090	0.065
1274	0.089
1352	0.040
1275/1 1275/2 1275/3	0.073
1276	0.008
1278	0.081
1281	0.081
1282	0.016
1285/1-2 1285/3-4	0.097
1286	0.105
1288/1 1288/2 1288/3	0.069
1289/1 1289/2 1289/3 1289/4 1289/5	0.154
1353/1 1353/2 1353/3	0.105
1350	0.020
1421	0.057
1743	0.040
1351/1 1351/2	0.049
1347/1 1347/2 1347/3	0.036
1346	0.065
1345	0.073

(1)	(2)
1343/1, 1343/2	0.032
1341	0.004
1338/1, 1338/2	0.024
1425	0.016
1744	0.024
1424	0.020
1427	0.101
1460	0.004
1457	0.020
1458	0.061
1455	0.012
1484	0.061
1494	0.105
1485/1, 1485/2, 1485/3, 1485/4, 1485/5	0.081
1495/1 क, 1495/1 ख	0.073
1495/2	
1492/1	0.028
1492/2	0.020
1516/1, 1516/2	0.093
1526	0.024
1676	0.028
1527	0.020
1528	0.016
1529	0.004
1674/1, 1674/2	0.040
1679/1, 1679/2, 1679/3, 1679/4	0.053
1675	0.214
1736	0.081
1742	0.040
1752	0.077
1737	0.105
1750	0.036
1751	0.040
1745/1, 1745/2	0.049
1746/1, 1746/2	0.057
1749	0.057
1759/1, 1759/2	0.069
1760	0.040
योग 62	3.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 788/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.203 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
267/1, 267/3	0.061

(1)	(2)
268	0.049
272/1, 272/2	0.478
271	0.004
399	0.210
270/1, 270/2	0.061
398	0.053
379	0.478
401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8	0.194
408/1, 6, 408/2, 3, 4, 7, 408/8	0.615
योग 10	2.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-देवरी माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 789/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/5	0.129
4/3	0.065
1/9	0.040
1/10	0.097
2/14	0.004
4/6	0.040
1/1	0.121
2/1	0.008
4/1	0.142
2/2	0.012
4/2	0.040
2/11	0.040
2/9	0.024
2/13	0.057
4/5	0.101
2/15	0.073
2/7	0.004
2/3	0.032
2/4	0.032
3/8	0.040
3/5	0.065
2/10	0.004
योग 22	1.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 790/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-ढोलनार, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.817 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/1, 12/2, 12/3	0.081
13/1, 13/2	0.227
14/1, 14/2, 14/3, 14/4	0.069
26	0.194
27/3	0.012
27/4 क	0.113
28/1, 28/2, 28/3	0.121
योग 7	0.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-देवरमाल माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 791/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नंदौर खुर्द, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.808 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6	0.045
91/1, 91/2	0.134
186	0.039
232	0.035
187	0.190
188	0.004
191/2	0.012
192/2	0.085
172	0.024
173	0.112
175	0.093
224/1	0.072
224/2	0.016
225	0.032
226	0.040
228/1, 228/2, 228/3	0.065
234	0.072
235	0.076
432/1	0.013
446	0.004
454/1	0.024
454/2	0.057
449	0.004
450/2	0.069
455	0.219
477	0.083
478	0.076
499	0.080
176	0.005
500/2	0.073
189	0.040

(1)	(2)
227	0.050
453	0.015
498	0.002
योग 35	1.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नंदौर खुर्द माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 792/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौर खुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
225	0.032
222	0.057
221/1, 221/2	0.211
228	0.050
255	0.004
256	0.016
257	0.016
258	0.007
259	0.010
274	0.108
281	0.147
260	0.008
263	0.059
262	0.092
265	0.092
272	0.038
266	0.004
275/1	0.064
323/5	0.016
योग 19	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नंदौर खुर्द सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 793/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1170/2-8, 1170/3-4, 1170/5-6, क, ख-7	0.170

(1)	(2)
1171	0.020
1172	0.020
1169/1 1169/2 1169/3	0.081
1160/1 1160/2 1160/3	0.012
1162/1 1162/2 1162/3	0.077
1161/1 1161/2	0.016
1137	0.146
1133	0.077
1138/1-4 1138/2 1138/3	0.012
1135	0.085
1134	0.057
1132	0.008
1131	0.020
1114	0.101
1115	0.008
1117	0.206
1108/1 1108/2 1108/3	0.150
1067/1-9	0.065
1169	0.040
योग 20	1.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 794/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21/1 21/2 21/3 21/4	0.081
20/1 20/2	0.093
18/1 18/2 18/3	0.053
29	0.053
58	0.045
30	0.045
32	0.024
31	0.024
57	0.024
33/1 33/2 33/3	0.032
28	0.028
60	0.113
56	0.008
64/2 क 64/2 ख	0.073

(1)	(2)
53/1	0.142
53/2	
51/1	0.077
51/2	
51/3	
51/4	
52	0.040
195	0.045
196	
191	0.012
180/1	0.040
180/2	
176/1	0.032
176/2	
169/1	0.004
169/2	
172	0.113
194	0.040
173/1	0.020
173/2	
188	0.020
192	0.028
योग 26	1.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-दर्राभांठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 795/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बोरदा प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
235	0.053
272	
982	0.045
236	
273/1 ख	0.065
271/1	0.077
271/3	0.129
274	0.243
272/1	0.008
272/2	
272/3	
272/4	
373/1	0.069
373/2	
375	0.004
374	0.073
368	0.045
379	0.113
381	0.012
382	0.109
367	0.004
385/1	0.016
385/2	
385/3	
385/4	
385/5	
385/6	
384/1	0.065
383/2	0.040
618	0.049
617	0.028

(1)	(2)
610	0.012
611/1	0.053
611/2	
611/3	
608	0.044
607/1	0.194
607/2	
607/3	
607/4	
607/5	
607/6	
597/1	0.008
597/2	
597/3	
606/1	0.158
598/2	0.020
599	0.069
600	0.036
603	0.012
601	0.081
602/19 क	0.053
602/19 ख	
602/11	0.032
602/2	0.040
602/21	
602/4	0.057
602/5	0.049
602/7	
602/16	0.040
602/9	0.036
602/15	0.073
602/8	0.069
602/10	0.032
602/14	0.045
602/6	0.016
497/3	0.125
497/2	0.069
496/1	0.089
897/2 ख	0.040
606/2	0.004
495	0.040
493/4	0.097
493/2	0.049
893/1	0.032
896/2	0.069
958	0.020
496/2	0.081
894/3	0.150
897/2 क	0.065
897/2 ग	0.105
897/2 घ	0.028
897/2 ङ	0.036
929	0.069
930/1	0.057
930/2	
493/1	0.049
961/1 क	0.097
931/1	0.040
932/1	0.057
932/2	
934/1	0.097
493/3	0.105
893/2	0.040
933	0.045
936	0.287
योग 71	4.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बोरदा उप वितरक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2003

क्र. 796/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.013 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/4	0.073
120/5	
120/3	0.081
119	0.170
118	0.012
402	0.138
430/1	0.069
430/2	0.004
424/1	0.012
424/2	
422	0.154
655	0.129
662	0.274
663	0.174
665/2	0.069
677	0.109
399/1	0.227
399/2	
399/3	
400/1	0.150
400/2	
423/1	0.247
423/2	
429/1	0.008
429/2	
429/3	
429/4	
429/5	
660/1	0.117
660/2	
658/1	0.097
658/2	
662/1	0.274
662/2	
678/1	0.008
678/2	
680/1	0.093
680/2	
680/3	
680/4	
676/1	0.045
676/2	
676/3	
688/1	0.117
688/2	
688/3	
688/4	
688/5	
688/6	
679/1	0.162
679/2	
योग 26	3.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-गिधौरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 24 फरवरी 2003

क्रमांक. 609/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./06-अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-भालूचुंवा, प. ह. नं. 109

(घ) लगभग क्षेत्रफल-128.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
170/1	0.42
174	2.13
218	1.45
170/2	0.25
172	2.25
173/1	4.25
173/2	1.78
181/3	0.67
182	4.55
184	3.53
185	3.55
187	6.60
190	9.82
192	9.85
193	1.05
194	1.22
195	0.45
197	0.43
213	0.85
196	0.37
212	0.55
210	0.43
295	1.50
211/1	0.65
211/3	0.65
214/1	0.65
211/2	0.85
211/4	0.60
214/2	0.70
211/5	1.38
214/3	0.67
215	4.25
217	2.25
298	1.90
299	3.30
300	0.50
340	6.78
341	5.45
342	0.20
351	2.08
352	0.92
354	1.00
355	0.37
360	4.75
362	12.90
365	4.37
371	0.40
385	2.75
397	3.22
393	5.37
394	1.75
योग 51	128.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 फरवरी 2003

क्र. 591/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./08-अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प. ह. नं. 113

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.69 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
338, 463	0.45
462	0.03
337	0.30
464	0.15
348	0.60
456	1.30
350	0.28
361, 453	0.85
454	0.22
362	0.35
452, 363	1.80
307	0.23
308	0.33
309	0.14
311	0.35
303	0.25
181	0.45
312, 304	0.80
305	0.05
117	0.35
179	0.55
176, 121	0.52
177, 122	0.34
166	1.53
146	0.30
147	0.23
143	0.52
142	0.47
141	0.95
योग 35	14.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-लोरमी

(ग) नगर/ग्राम-लंघवाटोला, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.878 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
185	0.024

(1)	(2)
186	0.323
193	0.089
205/9	0.040
194	0.113
195/2	0.036
205/6	0.024
205/2	0.121
205/4	0.024
205/8	0.040
201/1	0.226
202/2	0.049
202/1	0.053
202/3	0.145
211/1	0.057
213/1 ग	0.218
211/2	0.065
211/3	0.016
213/1 ख	0.093
212	0.012
213/2	0.008
214	0.97
योग 22	1.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के फिडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-पथर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.522 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
170/1, 198/2	0.040
195/1, 196/3	0.121
186/1	0.057
195/6	0.008
195/5, 196/1	0.024
195/11, 196/5	0.024
195/2, 3	0.137
186/5	0.065
195/9, 195/10	0.032
186/6	0.065
194/2, 194/3	0.065
192/2	0.032
194/4	0.040
194/1	0.085
192/4	0.170
190	0.259
177/2, 188/2, 189/2	0.138
193/2	0.307
177/3, 188/3, 189/3	0.344
186/2	0.194
177/4, 188/4, 189/4	0.113
186/4	0.154
187/1, 187/2	0.113
185	0.154

(1)	(2)
186/3	0.186
231, 232/2	0.049
232/1	0.004
233	0.121
234/2, 235/4	0.105
235/2	0.146
277/4	0.097
277/3	0.065
278	0.004
योग 33	3.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के फिडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-गोड़ खाम्ही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/1, 3	0.154
3/2	0.040
3/6	0.040
4/3	0.101
20/1	0.004
20/2	0.113
20/3	0.024
22	0.040
25/2	0.259
24/2	0.073
25/1	0.073
25/3	0.024
योग 12	0.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के फिडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2003

क्रमांक. 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 1 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-धनियाडोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.538 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
223	0.150

(1)	(2)
24/2	0.028
224/3	0.028
224/4	0.028
224/1	0.085
225	0.040
226	0.158
222/3	0.020
योग 8	0.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रहन नाला व्यपवर्तन योजना के एफलक्स बण्ड एवं वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 32/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-अंजनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.020 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
330/1	0.028
330/2	0.149
329/1	0.040
329/2	0.032
336/1, 336/2	0.344
337/2	0.109
337/3	0.028
340/1	0.149
340/2	0.129
341	0.056
344, 347	0.093
349/3	0.064
349/1	0.064
350/2, 350/3	0.101
351/1	0.020
352	0.109
356/1	0.145
359/1	0.105
195	0.056
193	0.032
109/1	0.016
190	0.076
197/1	0.049
183/1	0.121
183/3	0.032
181	0.089
160/2	0.101
169/1	0.129
180	0.145
182	0.085
178	0.165
177	0.117
168	0.153
176	0.194
167/1	0.089
167/3	0.093
160/1	0.165
157/4	0.064
156/1	0.153
108	0.485
110	0.101
114	0.133
113	0.182

	(1)	(2)
	175	0.093
	174	0.137
योग	45	5.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्रमांक 33/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.250 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1231/1	0.080
1229/1	
1222/2	0.165
1232	0.251
1237/2 ख	0.291
1233	0.012
1282/2	0.044
1094/4	0.068
1094/2	0.040
1095/2	0.251
1282/1	0.044
1260	0.097
1268/1	0.149
1275/1	0.072
1276/1	0.186
957/1	0.165
956/1	0.194
1337	0.016
1346	0.089
1314/5	0.028
1341/5	
1342	0.044
927/1	0.056
926/3	0.044
1341/2	0.044
1314/2	
1339	0.008
1340	0.020
899	0.077
900/1	0.020
1334	0.048
1338	0.028
1333/1	0.052
1333/2	0.052
902	0.064
1327/2	0.024
1332	0.008
1329/1	0.178
1328	0.008
1321	0.028
918/2	0.064
919/2	
926/2	0.133
925	0.137
911	0.121
1377/1 छ	0.077
1377/1 य	0.068
904/1	0.125
878/1 क/1	0.157

(1)	(2)
901	0.060
878/2 क/2	0.113
900/2	0.020
878/1 अ	0.044
864/1 ख	0.186
389	0.064
390	0.093
393/1	0.137
395/2	0.129
401	0.165
399	0.056
531	0.137
518/2	0.076
518/1	0.056
520/1	0.028
521/1 क	0.089
519	0.076
664	0.044
527/2	0.165
674/1	0.040
680	0.048
526/1	0.210
1075	0.117
1076	0.133
496	0.056
667/1	0.093
467	0.182
464	0.020
462/2	0.234
672/2	0.008
676/1	0.020
679/2 घ	0.085
679/2 क/1	0.072
1258/1	0.048
1205/1	0.040
1205/2	0.530
1207/1	0.097
1257/1	0.105
1047/1	0.097
1264/1	0.032
1094/1	0.012
1265/1	0.117
1080/1	0.093
1037	0.073
215/3 1036/3	0.073
232/1	0.093
227/4	0.016
300/7	0.048
348/2	0.093
339/1	0.097
339/2	0.226
179/12 क	0.049
179/15	0.057
1040/1	0.032
1025	0.041
351/1	0.085
349/1	0.113
योग 101	9.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2002

क्रमांक 34/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.180 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
397	0.189
398	
399	0.178
400	
570	0.149
578	0.109
577/1	0.125
576	0.044
773/1 घ	0.064
581/2	0.004
582	0.198
558/2	0.016
550/3	
773/1 य/1	0.165
762/6 ड	0.137
583/1	0.109
816	0.194
583/2	0.085
705	0.251
706	
587/1	0.085
588/1	0.109
595/1	
607/1	
588/5	0.194
524/1	0.028
596/1 क	0.153
773/1 ड	0.222
598	0.064
599	0.036
600/2	
512/1	0.064
495/1	0.064
512/2	0.089
495/2	0.072
508	0.064
507	0.028
790	0.093
490/2 ख	0.093
490/2 क	0.028
491/2	0.048
490/1	0.101
817/1	0.056
491/1	0.044
492/1	0.093
824/3	0.064
815	0.101
824/2	0.137
762/14	0.117
773/11	0.028
760/1	0.182
225/1 छ	0.113
858	0.028
859/4	
859/1 थ	0.101
762/17	0.137
773/1 प	0.109
773/1 ख	0.161
577/2	0.057
योग 51	5.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2003

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-देवरीकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.619 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177	0.045
137/1	0.117
136/1	0.004
188/3	0.113
129/2	0.036
188/4	0.058
128	0.101
132/1	0.020
191/3	0.344
189	0.081
188/2	0.012
183	0.251
137/2	0.069
20/1	0.020
111/3	0.154
111/7	0.158
129/1	0.036
योग 17	1.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-घुसरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.069
11/1	
11/3	
योग 3	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- झिरियानाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2003

क्रमांक 30/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2003

क्रमांक 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-देवरीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.522 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320/3	0.089
279/3	0.020
562/3	0.138
89/1	0.053
276/1	0.061
278/1	0.016
305/1	0.101
150/4	0.008
151/2	0.012
605/12	0.158
150/1	0.061
554/2	0.053
12/1	0.004
145	0.040
605/4	0.069
163/1	0.134
579/1	0.081
19/1	0.081
337/2	0.085
94	0.210
559/1	0.146
562/2	0.065
317	0.154
318	0.032
90	0.170
605/15	0.121
605/3	0.073
150/7	0.008
579/2	0.202
580	0.057
157/2	0.105
20	0.024
21	0.004
17/1 18/1	0.417
26	0.093
551/3	0.081
552/1	0.049
553/3	0.045
557/6	0.065
559/2	0.016
156	0.053
157/3	0.093
315	0.174
609	0.073
562/1	0.393
563/1	0.040
95	0.198
150/2	0.121
160/2	0.295
608	0.194
605/10	0.012
605/5	0.279
561	0.016
281	0.016
586/4	0.101
305/2	0.040
152	0.016
153/2	0.028
553/1	0.129
19/2	0.081
605/2	0.243
276/2	0.040
279/1	0.069
319/1	0.142
161/2	0.081
320/2	0.134
146/2	0.219
279/2	0.073
316/1	0.113
337/4	0.085
147	0.053
551/2	0.138
552/2	0.049
278/2	0.174
586/1	0.154
योग 72	7.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

क्रमांक 42/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-गांजन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	104/1	0.036
	102	0.117
	104/2	0.097
	108	0.117
योग	4	0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

क्रमांक 47/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-पडरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.814 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	24/6	0.113
	23/1	0.065
	7/4	0.036
	24/4	0.085
	24/3	0.085
	24/7	0.061
	24/5	0.134
	25	0.012
	7/2	0.223
	7/3	
	7/5	
योग	9	0.814

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

क्रमांक 53/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-भाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.518 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205/2	0.182
213	0.012
935/1	0.057
938/3	0.065
775	0.028
788/1	0.125
938/4	0.065
212/1	0.036
211	0.049
254/2	0.093
942/1	0.045
1112/1	0.045
257/2	0.036
185/3	0.113
185/2	0.069
202/2 203/2	0.040
240/1	0.113
454 455	0.105
272	0.040
257/3	0.028
185/1	0.081
468/6	0.024
774/2	0.117
799/1	0.061
871	0.081
773/2	0.162
212/2	0.036
451	0.024
446/2	0.061
273	0.065
845	0.028
820	0.150
798	0.227
934/2	0.081
1115/2	0.162
1139/2	0.008
239/1	0.150
1142/2	0.045
1117	0.101
797	0.057
934/1 क	0.081
202/1 203/1	0.138
228/1	0.162
944/1	0.057
1122/1	0.081
1123/1	0.065
1140	0.045
205/1 क	0.012
240/2	0.069
847/1	0.078
876/1	0.219
231/1	0.012
252/1	0.024
943	0.202
789/2	0.078
215/1	0.081
447	0.150
936	0.117
253/2	0.089
1141	0.065
948/2	0.186
446/1	0.069
452	0.016
1118/1	0.028
1142/1	0.089
1116/3	0.057
252/2	0.028

	(1)	(2)
	275/2	0.061
	773/1	0.045
	774/1	0.049
योग	70	5.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर खुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.